(1)	(2)	(3)	(4)
"11	Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company (NBFCs)	Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm.	A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable Territory.";

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

'(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 704 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No. 3/2018 - Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 77 (E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 16/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का. नि. 690(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (i) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 705 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 14/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 705 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 16/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 690 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 705(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

(i) after the words "State Government" the words "or Union Territory" shall be inserted;

(ii) after the words "Constitution" the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 14/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 705 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 17/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का. नि. 691(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

"स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]
गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 75 (अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।